

सती प्रथा

डॉ. विवेकानंद लक्ष्मण चव्हाण

इतिहास विभाग

एस. पी. डी. एम. महाविद्यालय, शिरपूर, जि. धूळे

(महाराष्ट्र) भारत

प्राक्कथन :

सती का अर्थ अमर अथवा सत्य पर स्थिर रहने वाली है। जो पति-पत्नी का अटूट और अविच्छेद सम्बन्ध भी व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ था, धर्म के प्रति एकनिष्ठ होकर अपनी उज्ज्वल चरित्र की कीर्ती द्वारा संसार में अमर रहने वाली स्त्री। सती शब्द की अभिव्यक्ती के लिए प्राचीन साहित्य में अन्वा रोहण (मृत पति के साथ चिता पार चढना) सहगमन ,(मृत पति का अनुगमन करना),सहमरण (मृत पति के साथ मरणा)और अनुमरण (यदि पति कि मृत्यू विदेश प्रवास काळ मे हो गयी हो तो यस्का समाचार मिलने के बाद उसके पीछे मरणा) आदि अनेक शब्द प्रचलित है। इन शब्दों के व्यवहार से स्पष्ट होता ही कि विवाहोपरांत पती-पत्नि का सम्बन्ध जीविता वस्था में अत्यंत प्रगाढ ,अटूट और पावन होता ठ ,तथा पति के मरण के बाद परलोक और जन्मांतर में भी तदवत अटूट बना रहता था। सती, संस्कृत शब्द 'सत्' का स्त्रीलिंग, कुछ पुरातन भारतीय हिन्दू समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी, जिसमें किसी पुरुष की मृत्योपरांत उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयमेव प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। वास्तव में सती होने के इतिहास के बारे में पूर्ण सत्यात्मक तथ्य नहीं मिले हैं। इस प्रथा को इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है जिन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। हिन्दू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित हो यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती शब्द को अक्सर अकेले या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़कर किसी "पवित्र महिला" की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

डॉ. विवेकानंद लक्ष्मण चव्हाण

1Page

मानवी सभ्यता के उदय के साथ ही सती प्रथा का प्रचलन हुआ था । महापाषण युग में मृतक के साथ-साथ दैनिक उपयोग कि वस्तुओं को भी दाफनाते थे । इसी विश्वास ने सती प्रथा के उदय के लिये अनुकूलता दर्शायी । मृतक के साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाता था । विश्व कि अनेक प्रजातियों में यह सती प्रथा प्रचलित थी । प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण रहा था। आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियाँ अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयमेव अपने पति की चिता के साथ आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी। कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक विवशता का अपभ्रंश होते-होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गयी, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। यह वास्तव में राजाओं की रानियाँ अथवा उस क्षेत्र की महिलाओं का मुस्लिम के आक्रमण के समय यदि उनके रक्षकों की हार हो जाती तो अपने आत्मसम्मान को बचने के लिए स्वयं दाह कर लेती इसका सबसे बड़ा उदाहरण चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का आता हैं। डॉ.पी.व्ही.काणे का कहना ही कि विधावाओं का सती होना केवल ब्राह्मण धर्म में ही पाया जाता था ,यह प्रथा मानव समाज कि प्राचीनतम धार्मिक धारणाओं एवं अंधविश्वास पूर्ण कृत्यों में समाविष्ट रही ही । सती होने कि प्रथा प्राचीन युनानियों ,जर्मनियों ,स्लावो एवं एवं अन्य जातियों में भी पायी गायी है । किंतु इसका प्रचलन बहुधा राजघरानों एवं भद्र लोगों में ही रहा था। मिस्र के पिरामिड में मृत शासकों के साथ उसकी प्रिय रानिया और परिचारिकाओं और सुख सामग्री भी दफनायी जाती थी। सती प्रथा का भारत में कब से हुआ ,यह विवादास्पद है। वैदिक साहित्य ,बौद्ध साहित्य ,जैन साहित्य ,कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं अन्य साहित्य में सती प्रथा के प्रचलन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार सतीप्रथा का प्रचलन ई.पु.चौथी शताब्दी में तक्षशीला,कठजातीय तथा पश्चिमोत्तर भारत में था ।

मान्यताओं के अनुसार सती प्रथा की शुरुआत मां दुर्गा के सती रूप के साथ हुई थी जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव की पिता दक्ष के द्वारा किये गये अपमान से क्षुब्ध होकर अग्नि में आत्मदाह कर लिया था. हिंदू धर्म के चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से किसी में से भी सती प्रथा से जुड़ी कोई भी व्याख्या नहीं की गई है. भारतीय इतिहास में सती प्रथा होने के पहले प्रमाण गुप्तकाल में 510 ईसवी के आसपास मिलते हैं जब महाराजा भानुप्रताप के साथ युद्ध में गोपराज भी थे. गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिये. भारत में जब इस्लामिक राजाओं या मुगलों के द्वारा सिंध, पंजाब और राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था तब सती प्रथा के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं के अपने पति के वीरगति को प्राप्त करने के बाद आत्मदाह कर

लिया था. सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सती माता के मंदिर भी बने हैं, खासकर ये मंदिर राजस्थान में बहुतायत में मिलते हैं। सवाल उठता है कि हिन्दू धर्म शास्त्रों में स्त्री के विधवा हो जाने पर उसके सती होने की प्रथा का प्रचलन है? जवाब है नहीं। हिन्दू धर्म किसी भी रूप में भारतीय समाज में फैली सती प्रथा का समर्थन नहीं करता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी जलती हुई चिता पर बैठकर भस्म होना है।

इस प्रथा को कुछ कुतर्की लोगों ने देवी सती (दुर्गा) का नाम दिया। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सह सकने करने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। शोधकर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला जबकि मुस्लिम आक्रांता महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे या राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियां जौहर की रस्म अदा करती थी अर्थात या तो कुएं में कूद जाती थी या आग में कूदकर जान दे देती थी। हिन्दुस्तान पर विदेशी मुसलमान हमलावरों ने जब आतंक मचाना शुरू किया और पुरुषों की हत्या के बाद महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया तो बहुत-सी महिलाओं ने उनके हाथ आने से, अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के छत्रिय या राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उक्त स्थान पर मंदिर बना दिये गए और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी। गुलामी का काल हिन्दू स्त्री जातियों के लिए बहुत ही बुरा काल था ऐसे में उनके पति के मरने के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। उनमें से कुछ महिलाएं तो वृंदावन या मथुरा जैसी जगह जाकर सन्यास ले लेती थी तो कुछ को वैश्यालयों में धकेल दिया जाता था। कुछ ऐसे समाज थे जहां महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। हालांकि ऐसी घटनाएं राजस्थान और उससे लगे क्षेत्र में ही देखने को मिलती थी। अधिकतर घरों में महिलाएं पूरा जीवन विधवा बनकर ही काट देती थी। इस प्रथा को बाद में बंद कराने का श्रेय राजा राममोहन राय के अलावा कश्मीर के शासक सिकन्दर, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, मुगल

सम्राट अकबर, पेशवाओं, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड हैस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बैंटिक को जाता है।

सती प्रथा की तरह ही भारत में जौहर प्रथा भी बहुत ही अधिक प्रचलित थी जब इस्लामिक हमलों के समय राजपूतों की पत्नियां एक साथ जौहर करती थीं जिसका मतलब होता था आग में कूदकर अपनी जान दे देना.भारत में जब इस्लामिक राजाओं या मुगलों के द्वारा सिंध, पंजाब और राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था तब सती प्रथा के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं के अपने पति के वीरगति को प्राप्त करने के बाद आत्मदाह कर लिया था.सती प्रथा की तरह ही भारत में जौहर प्रथा भी बहुत ही अधिक प्रचलित थी जब इस्लामिक हमलों के समय राजपूतों की पत्नियां एक साथ जौहर करती थीं जिसका मतलब होता था आग में कूदकर अपनी जान दे देना.इतिहास के पन्नों में इस तरह के उल्लेख मिलते हैं कि एक समय पतियों की मृत्यु के बाद उनकी चिताओं पर उनकी पत्नियों को जबर्दस्ती चिताओं के ऊपर बैठाया जाता था जिसमें महिलाओं की चीखों और उनके दर्द की पीड़ा को कोई भी ध्यान नहीं देता था.इतिहास के पन्नों में इस तरह के उल्लेख मिलते हैं कि एक समय पतियों की मृत्यु के बाद उनकी चिताओं पर उनकी पत्नियों को जबर्दस्ती चिताओं के ऊपर बैठाया जाता था जिसमें महिलाओं की चीखों और उनके दर्द की पीड़ा को कोई भी ध्यान नहीं देता था.भारत में ब्रिटिश राज के समय में अंग्रेजों ने सती प्रथा को भारत में एक ठीक प्रथा नहीं माना था लेकिन धार्मिक दृष्टि से मजबूत होने का कारण उन्होंने इसे सीधा समाप्त करने के बजाय इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम करने का विचार किया।

भारत में ब्रिटिश राज के समय में अंग्रेजों ने सती प्रथा को भारत में एक ठीक प्रथा नहीं माना था लेकिन धार्मिक दृष्टि से मजबूत होने का कारण उन्होंने इसे सीधा समाप्त करने के बजाय इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम करने का विचार किया.सती प्रथा को भारतीय समाज के ऊपर एक कलंक के तौर पर माना जाता है. साल 1829 को लॉर्ड विलियम बैंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को भारत में पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया. भारतीय समाज के अनेकों समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय आदि के अथक प्रयासों के द्वारा 4 दिसम्बर साल 1829 को समाज को सती प्रथा के कलंक से मुक्ति मिल गई थी. आधुनिक भारत का जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय ने भारत में शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने का प्रण लिया. राजा राम मोहन राय ने ना

सिर्फ सती प्रथा का विरोध किया बल्कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए विधवा विवाह को सामाजिक स्वीकृति देना जरूरी बताया।

कुछ रूढ़ीवादीयोंने इसके विरुद्ध प्रीवी कौन्सिल इंग्लैंड में अपील कि ,लेकीन उनकी अपील खारीज हो गयी.लेकीन विलियम बैटीक द्वारा सती प्रथा पर रोक सम्बन्धी कानून बन जाने के बाद भी सती होने कि छीट-पुट घटनाये होती रही.स्वतन्त्र भारत में भी सती होने कि घाटनाओ का यदा कदा उल्लेख समाचार पत्रों में पढने को मिलता है.दण्ड मिलने के प्राविधान के बाद भी यह मस्तिष्क में घुमता रहा।११ जून १९५४ को झांसी में एक १८ वर्षीय राजपूत लडकी पती कि मृत्यू हो जाने पर सती हो गयी थी।८ नवम्बर १९६१ मे जयपूर के एक गावं मे इह विधवा महिलाके सती होने को उल्लेख मिलता है।१९९० में उत्तर प्रदेश के महोवा जिले के चरणशाह सती होने का प्रमान मिलता है।२००२ मे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुटाबाई सती हो गयी।

सारांश:-

इस प्रकार सती प्रथा का प्रचलन आज भी राजस्थान और मध्यप्रदेश मे पायी जाती है।यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी तो कभी-कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था जिसका मतलब होता है पवित्र महिला।मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक के लिए कोशिश की। उसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं स्वेच्छा से भी ऐसा करती थीं, इसलिए उन्होंने यह भी आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से विशिष्ट अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं करती हैं।18वीं सदी के अंत तक इस प्रथा को ऐसे कुछ इलाकों में बंद कर दिया गया जहां यूरोपीय औपनिवेशिक शासन था। पुर्तगालियों ने 1515 तक गोवा में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। डच और फ्रेंच ने इसे हुगली चुनचुरा और पुडूचेरी में बंद किया।21वीं सदी में भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में सती के मामले सामने आए। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, 1943 से 1987 तक भारत में सती के 30 मामले सामने आए।



संदर्भ:-

१. डॉ. थापर रोमिला, पुर्वमध्यकालीन भारत ,दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, २००८
२. डॉ. वी.डी. महाजन, प्राचीन भारत का इतिहास, एस. चंद एन्ड कम्पनी, नई दिल्ली , २००७
३. श्रीनेत्र पाण्डेय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७८
४. डॉ. विवेक अग्निहोत्री, भारतीय इतिहास, एलाइड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, १९९४
५. डॉ. हरिश्चंद्र वर्मा, मध्यकालीन भारत-भाग-१, दिल्ली विश्व विद्यालय, नई दिल्ली, १९९९
६. डॉ. हरिश्चंद्र वर्मा, मध्यकालीन भारत-भाग-२, दिल्ली विश्व विद्यालय, नई दिल्ली, १९९९
७. डॉ. अर्चना राय, प्राचीन भारत में स्वमरण, अप्रकाशित पीएच.डी. शोध-प्रबंध, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर , २००२
८. Dr. Altekar A.S., The Position Of Women In Hindu Civilization, Motilal Banarsidas, New Delhi, 1962
९. Dr. Mujumdar, Ancient India, Motilal Banarsidas, New Delhi, 1971